ARM 5/2

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 02/42/01/14210/10

यह प्रमाणित किया जाता है कि महाटौलिया एजूकेशनल सोसायटी समिति जो प्लाट नं0 5, सखिया विलास, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर तहसील गिर्द ग्वालियर जिला ग्वालियर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 20/12/2010 को पंजीयित की गई है।

Principal
World School

दिनांक बीस माह दिसम्बर सन् 2010

Principal
World School Shivpuri Link Road

समितियों के रजिस्ट्रार
(एम.जे. कुरैशी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर– चम्बल राजस्व संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

Principal
Kendriya Vidyalya Bhind
M.P. 477001

PRINCIPAL
Uma Dut. Public School
...ela Niwas G T Road
DHOLPUR

1313

क्र0/1324/11
23-6-11

नियमावली

1. समिति का नाम — महाटौलिया एजूकेशनल सोसायटी

2. समिति का कार्यालय — प्लाट नं 5, सखिया विलास, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

3. समिति का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. समिति के उद्देष्य निम्नलिखित होंगे :—

1. शिक्षाविभाग से मान्यता प्राप्त करना तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यमों से क्षेत्रीय भाषा एवं बोली देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना । औपचारिक शिक्षाकेन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ महिलाओं हेतु शिक्षा केन्द्र व पत्राचार केन्द्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिये हेतु शिक्षा केन्द्र व पत्राचार केन्द्र ... एवं कोचिंग कक्षाओ का संचालन करना एवं अनुसूचित जाति बालक कन्या आश्रम, आवासीय विद्यालयों एवं कोचिंग कक्षाओ का संचालन करना एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना ।

2. व्यावसायिक शिक्षा हेतु महाविद्यालयों का संचालन करना — स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु विभिन्न कोर्स संचालित करना जैसे बी. बी. ए., बी. एड., एम.एड., बी.सी.ए. (इलेक्ट्रोनिक एवं कम्प्यूटर आदि आधुनिक विषयोंके साथ (बी.ए. गणित इलेक्ट्रोनिक एवं कम्प्यूटर आदि विषयोंके साथ (बी.कॉम.) वाणिज्यिक के साथ पर्यटन के विषयों को लेकर, पर्यटन एवं पर्यावरण विषयोंपर डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सेसों को चलाना, एम.बी.ए. डिग्री कोर्स, एम.बी.ए. (मास्टर ऑफ बिजनेस इकॉनोमिक्स) पोलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अन्य आधुनिक व्यावसायिक डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सेस, चिकित्सा महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षाके कोर्सों को संचालित करना। डेन्टल कॉलेज आयुर्वेदिक वेटनरी, होम्योपैथिक, फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करना एवं संचालित करना ।

3. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर एवं टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना ।

4. शिक्षा प्रसार हेतु किसी सुस्थापित नाम की फेन्चाईजी लेकर विद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन करना।

महाटौलिया ऐजूकेशनल सोसायटी
अध्यक्ष
अध्यक्ष

महाटौलिया ऐजूकेशनल सोसायटी
सचिव
सचिव

Mahatauliya Educational Society
Treasurer
कोषाध्यक्ष

Principal
7I World School

Principal
7I World School Shivpuri Link Road

Principal
Kendriya Vidyalya Bhind
M.P. 477001

PRINCIPAL
Uma Dut. Public Schoo
eela Niwas G.T. Road
DHOLPUR

सदस्यता – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) संरक्षक सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1,000/– या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 500/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 1500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति रूपये 50/– माह रूपये 600/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोष जनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य – संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. सदस्यता की प्राप्ति – प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन–पत्र प्रबन्धकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन–पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यता – संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–
(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो। (2) भारतीय नागरिक हो। (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो । (4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

3

8. सदस्यता की समाप्ति – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–
(1) मृत्यु हो जाने पर। (2) पागल हो जाने पर। (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बतायें अनुसार जमा न करने पर। (4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देना होगी ।

9. संस्था कार्यालय में पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–
(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं ।
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(अ) साधारण सभा – साधारण सभा में नियम 5 में दर्शायें श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह

Principal
World School

महादेलिया एज्यूकेशनल सोसायटी
अध्यक्ष

महादेलिया एज्यूकेशनल सोसायटी
सचिव

महादेलिया एज्यूकेशनल सोसायटी
कोषाध्यक्ष

Principal
World School Shivpuri Link Road

PRINCIPAL
Uma Dut. Public School
Niwas G.T. Road
DHOLPUR

के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे एव पदाधिकारियो का विधिवत् चुनाव करवाया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा – प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यो की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

10. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** – (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयोंपर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत (ड़) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन

11. प्रबन्धकारिणी का गठन – ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) सदस्य 3

12. **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल** – प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

13. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य – (अ) जिन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। -संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

Principal
7i World School

Abhargava
Principal
7i World School Shivpuri Link Road

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
Principal
Kendriya Vidyalya Bhind
M.P. 477001
अध्यक्ष

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
सचिव

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
Uma Dut. Public School
Kela Niwas G.T. Road
DHOLPUR

(ड़) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

14. **अध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयो में निर्णयात्मक होगा।

15. **उपाध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

सचिव (मंत्री) के अधिकार –

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 10,000/– व्यय करने का अधिकार होगा ।

17. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** – समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

18. **बैंक खाता** – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित अथवा निजी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव किसी एक के हस्ताक्षर से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 10,000/– रहेंगे ।

19. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** – अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
Principal अध्यक्ष
Kendriya Vidyalya Bhind
M.P. 477001

Principal
7I World School
महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
सचिव

Principal
7I World School Shivpuri Link Road
महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
कोषाध्यक्ष
PRINCIPAL
Uma Dut. Public School
eela Niwas G.T. Road
DHOLPUR

20. संशोधन – संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

21. विघटन – संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

22. सम्पत्ति – संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

23. बैंक खाता – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित अथवा निजी बैंक या पोस्ट–ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

24. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना – संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

25. विवाद – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सदस्यों के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

Principal
7I World School Shivpuri Link Road

****

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
अध्यक्ष

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
सचिव

महाटोलिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी
कोषाध्यक्ष

(एम. जे. कुरैशी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर

Principal
7I World School

Principal
Kendriya Vidyalya Bhind
M.P. 477001

PRINCIPAL
Uma Dut. Public Schoc
eela Niwas G T Road
DHOLPUR (F

कार्यालय, महाटौलिया एजुकेशनल सोसायटी पं.नं. 14[illegible] दिनांक 20.12.2010
पता : ई ब्लाक, हरशंकरपुरम साहिल अपार्टमेंट के सामने, लश्कर ग्वालियर म.प्र. वर्ष 2014

3564

वर्तमान कार्यकारिणी की सूची

क्र.	नाम	पद	व्यवसाय	पता	पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत	हस्ताक्षर
1.	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	अध्यक्ष	व्यवसाय व समाजसेवा	531, सुरेश नगर, ठाठीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	10.02.2014 से 09.02.2017 तक	[signature]
2.	श्रीमती राजकिशोरी शर्मा	उपाध्यक्ष	व्यवसाय व समाजसेवा	531, सुरेश नगर, ठाठीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	तदैव	[signature]
3.	श्री दीपक शर्मा	सचिव	व्यवसाय व समाजसेवा	531, सुरेश नगर, ठाठीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	तदैव	[signature]
4.	श्री धीरेन्द्र मोहन	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय व समाजसेवा	ई–13, गोविन्दपुरी, महादेव अपार्टमेंट के सामने, ग्वालियर म.प्र.	तदैव	[signature]
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	सदस्य	व्यवसाय व समाजसेवा	सर्व नगर, मिशन कम्पाउण्ड दुर्गा मंदिर के सामने झाँसी उ.प्र.	तदैव	[signature]
6.	श्री रामगोपाल राठौर	सदस्य	व्यवसाय व समाजसेवा	सखिया विलास, झाँसी रोड, ग्वालियर म.प्र.		[signature]
7.	डॉ. रेखा वशिष्ठ	सदस्य	व्यवसाय व समाजसेवा	61–बी, रत्ना कॉलोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.		[signature]

प्रमाणित
21.02.2014
(एम.के. कुरैशी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर चम्बल राजस्व संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

Principal
Kendriya Vidyalya Bhind
M.P. 477001

Chairman

Principal
7i-World School

For Mahatauliya Educational Society
Secretary

महाटौलिया एजुकेशनल सोसायटी

Principal
7i World School Shivpuri Link Road

PRINCIPAL
Uma Dutt Public School
Leela Niwas G T Road
DHOLPUR (R

कार्यालय महादीलिया एजुकेशनल सोसायटी

पता :- ई ब्लाक, हरिशंकरपुरम स्टेडियम अपार्टमेंट के सामने, लश्कर ग्वालियर म.प्र.

वर्ष 2018

श्रीमान् सहायक पंजीयक महोदय,
फर्म्स एवं संस्थाऐं ग्वालियर,
चम्बल संभाग ग्वालियर म0प्र0

विषय :- धारा 27 व 28 की जानकारी फाइल की जाकर मान्य कार्यकारिणी के आदेश की प्रति जारी किए जाने हेतु ।

महोदय,

निवेदन है कि म0प्र0 समिति पंजीयन अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत सूची के साथ संलग्न दस्तावेज के साथ नवीन कार्यकारिणी की सूची एवं साधारण सदस्यों की सूची अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। संलग्न दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत है। प्रमाणित कर संलग्न किया गया है। कृपया शासन के नियमों को पालन करने की प्रत्याशा में संस्था की सूची फाइल की जाकर मान्य कार्यकारिणी की सूची जारी कर, आदेश की प्रति संस्था को भेजे जाने की कृपा करें ।

संलग्न :- दस्तावेजों की सूची

1. आवेदन पत्र जिस पर 5 रुपये का कोर्ट फीस टिकट ज्यूडिशियल चस्पा किया गया एवं 100 रु के स्टाम्प की मूल प्रति संलग्न है।
2. धारा 27 की सूची
3. समिति का अधिकार पत्र
4. अध्यक्ष व सचिव का घोषणा पत्र
5. कोषाध्यक्ष का घोषणा पत्र
6. चुनाव अधिकारी का घोषणा पत्र
7. पूर्व कार्यरत कार्यकारिणी की सूची वर्तमान में चुनी गई कार्यकारिणी की सूची
8. पूर्ण साधारण सभा के सदस्यों की सूची ।
9. संस्था में कोई विवाद नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु शपथ-पत्र प्रमाणित संलग्न ।
10. पंजीयन, नियम, ज्ञापन सूची की छायाप्रति एवं कार्यकारिणी की सूची ।
11. शुल्क निर्धारित मद में जमा कर मूल प्रति संलग्न है ।
12. ऑडिट रिपोर्ट

अतः उपरोक्तानुसार सहपत्र संलग्न है। कृपया शीघ्र ही मान्य कार्यकारिणी की सूची प्रदान करें।

Educational Society

सचिव

कार्यालय महाटौलिया एजूकेशनल सोसायटी

पता : ई ब्लॉक, हरीशंकरपुरम साहिल अपार्टमेंट के सामने, लश्कर ग्वालियर म.प्र.
वर्ष 2018

प्रारूप – सात
(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

सोसायटी का नाम और पूरा पता — महाटौलिया एजूकेशनल सोसायटी
ई ब्लॉक, हरीशंकरपुरम साहिल अपार्टमेंट के सामने, लश्कर ग्वालियर म.प्र.

पंजीयन क्रमांक तथा तारीख — 14210 दिनांक 20.12.2016

साधारण निकाय के वार्षिक अधिवेशन की तारीख — 25.03.2018

विद्यमान पदाधिकारियों की सूची — कार्यकाल तारीख 10.02.2017 से तारीख 09.02.20120 तक

नाम पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
श्री सुदामा प्रसाद शर्मा/ स्व. श्री राम प्रसाद शर्मा	531, सुरेश नगर, थाटीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	अध्यक्ष	व्यवसाय व समाजसेवा	
श्रीमती राजकिशोरी शर्मा / श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	531, सुरेश . नगर, थाटीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	उपाध्यक्ष	व्यवसाय व समाजसेवा	
श्री वीरेन्द्र मोहन / स्व.श्री देवेन्द्र मोहन	ई-13,गोविन्दपुरी, महादेव अपार्टमेंट के सामने, ग्वालियर म.प्र.	सचिव	व्यवसाय व समाजसेवा	
श्री विवेक शर्मा / श्री सुदामा प्रसाद शर्मा	531, सुरेश नगर, थाटीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय व समाजसेवा	
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा/ श्री राजालाल शर्मा	सर्व नगर, मिशन कम्पाउण्ड दुर्गा मंदिर के सामने झांसी उ.प्र.	सदस्य	व्यवसाय व समाजसेवा	
श्री रामगोपाल राठौर /स्व.श्री पुन्नी लाल राठौर	सखिया विलास, झांसी रोड, ग्वालियर म.प्र.	सदस्य	व्यवसाय व समाजसेवा	
श्रीमती समता शर्मा / श्री दीपक शर्मा	531, सुरेश नगर, थाटीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.	सदस्य	व्यवसाय व समाजसेवा	